



राजस्थान रोजगार संदेश

(पाक्षिक)

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 44 अंक 14

Website: <http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in>

1 सितम्बर, 2021

फोन : 2368398

मूल्य : 2.00

वार्षिक शुल्क 40 रु.

आई.टी.आई में कौशल प्रशिक्षण के अवसर

आज के वैश्वीकरण के युग में कौशल प्रशिक्षण किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक घटक है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश होने के बावजूद हमारे युवाओं में कौशल का अभाव होने के कारण उनकी रोजगारपरकता काफी कम है। आज हम विश्व के सबसे युवा देशों में से एक हैं, हमारी अधिकांश जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग में है और आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है किंतु युवाओं में कौशल की कमी होने के कारण अपेक्षित जनसंख्या लाभांश (Demographic Dividend) हमारे युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। यदि हमारे युवाओं को स्तरीय कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके तो हम कुशल/दक्ष श्रम शक्ति की मांग राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतराष्ट्रीय स्तर पर पूरी कर सकते हैं।

इसी दिशा में कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की प्रशिक्षण शाखा के अन्तर्गत राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की "दस्तकार प्रशिक्षण योजना" का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत "राष्ट्रीय

व्यावसायिक प्रशिक्षण

परिषद्" (NCVT) एवं

राजस्थान व्यावसायिक

शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्

(RCVET) के निर्धारित

6 माह, एक एवं दो वर्षीय

इंजीनियरिंग एवं नॉन

इंजीनियरिंग व्यवसायों में

उद्योगों की आवश्यकता के

अनुसार कौशल प्रशिक्षण

देकर युवाओं को रोजगार/

स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा रहा है।



प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रवेश पात्रता, आरक्षण प्रावधान एवं शुल्क :-

- राज्य के विभिन्न राजकीय एवं निजी संस्थानों में वर्तमान में प्रशिक्षण हेतु 38 प्रकार के इंजीनियरिंग एवं 39 प्रकार के नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय उपलब्ध हैं।
- आई.टी.आई में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष (प्रवेश वर्ष के 01 अगस्त) होना अनिवार्य है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
- प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता कुछ व्यवसायों में आठवीं कक्षा एवं अधिकांश व्यवसायों में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है।
- राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रवेश में अनुसूचित जाति हेतु 16%, जनजाति हेतु 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 21%, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 5%, एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त रक्षा कर्मियों के आश्रितों हेतु 5%, विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों हेतु 4% एवं महिलाओं हेतु 30%

क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान भी है।

- राजकीय आई.टी.आई में प्रवेशित अभ्यर्थियों से 2400/- वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों से अवधान द्रव्य (रिफंडेबल) 1000/- एवं विद्यार्थी दुर्घटना बीमा 100/- प्रतिवर्ष लिया जाता है। राजकीय आई.टी.आई में महिलाओं को प्रशिक्षण शुल्क से मुक्त रखा गया है।

प्रवेश प्रक्रिया -

वर्तमान में राज्य में राजकीय एवं निजी आई.टी.आई में प्रशिक्षण सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 07.08.2021 से प्रारंभ हो चुकी है जिसके अन्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी एकिकृत पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in / E-mitra> के माध्यम से आवेदन का निर्धारित शुल्क (सामान्य अभ्यर्थी हेतु 100/-, SC/ST हेतु 75/-) एवं 100/- प्रोसेसिंग शुल्क जमाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने से पूर्व इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश एवं निर्धारित

प्रवेश क्षमता की अंतरिम

सूची (सीट मैट्रिक्स)

विभागीय वेबसाइट

<http://livelihoods.rajasthan.gov.in>

पर देख सकते हैं। प्रवेश

हेतु आवेदन करने वाले

अभ्यर्थी के लिए आधार

नंबर, यूनीक मोबाइल नंबर

व ई-मेल आईडी होना

आवश्यक है। निर्धारित

अंतिम तिथि 15.09.2021 तक अभ्यर्थी पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश हेतु संस्थान व व्यवसाय का विकल्प भर सकेगा जिसके आधार पर उसे उसकी मेरिट के अनुसार संस्थान/व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा।

कौशल प्रशिक्षण के संग..... रोजगार की ओर बढ़ते कदम

आई.टी.आई में निर्धारित पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थी को राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो कि राजकीय विभागों/निजी क्षेत्र में नियोजन हेतु मान्य है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी राजकीय/निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है अथवा स्वरोजगार भी कर सकता है। दो वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षित अभ्यर्थी तकनीकी शिक्षा मण्डल के अन्तर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश हेतु पात्र हो जाता है। इसी प्रकार 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी दो वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के उपरांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अंग्रेजी विषय का पेपर उत्तीर्ण कर 12वीं (विज्ञान विषय) की समकक्षता हासिल कर सकता है।

लेखक वीरज माधुर, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), कार्यन्वय संयुक्त राज्य शिक्षा सलाहकार, जयपुर के पद पर कार्यरत है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विस्तृत विज्ञापन

क्रमांक: वि.सं. 04/भर्ती/S.O./RPSC/EP-I/2021-22

दिनांक : 26.08.2021

आयोग द्वारा आयोजना विभाग (आर्थिक एवं सांख्यिकी) हेतु सांख्यिकी अधिकारी (STATISTICAL OFFICER) के पदों हेतु राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

No. of Post(s)	Gen. (U.R.)				S.C.				S.T.				O.B.C.				E.W.S.				M.B.C.			
	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता	सामान्य	साम.	विधवा	परिव्रता
43	11	4	1	1	4	1	0	0	7 (1 बैकलॉग)	1	1	0	4	1	1	0	3	1	0	0	2	0	0	0

दण्डवत आरक्षण - भूतपूर्व सैनिक 02 पद, विशेष योग्यजन 5 पद (B/LV-2 (Backlog), HI-2(Backlog), I.D., M.I., S.L.D., AUTISM&MD-1)

नोट:- अनुसूचित जनजाति का उक्त पद बैकलॉग का पद दिनांक 10.10. 2002 के पश्चात का रिक्त है।

Abbreviations Used : Gen. - General, U.R.- Unreserved, SC - Scheduled Castes, ST- Scheduled Tribes, OBC - Other Backward Classes, MBC- More Backward Classes, EWS - Economically Weaker Sections, B/LV- Blind/Low Vision, H.I. - Hearing Impaired, I.D.-Intellectual Disability, M.I.-Mental Illness, S.L.D.-Specific Learning Disabilities, MD-Multiple Disabilities

नोट :-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अर्थपूर्ण उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अर्थपूर्ण उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विधिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अर्थपूर्ण के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विधिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विधिन्न विवाह अर्थपूर्ण के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अर्थपूर्ण के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अर्थपूर्ण द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अर्थपूर्ण के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवा और विधिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।
- विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अर्थपूर्ण जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यक्त हो जायेगी।
- राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रणीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियुक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :-

- (a) At least second class Master's degree in Economics, or (b) At least second class Master's degree in Statistics, or (c) At least second class Master's degree in Mathematics with paper in Statistics, or (d) At least second class Master's degree in Commerce with Statistics, or (e) At least second class M.Sc (Agriculture) Statistics from a University established by law in India or Foreign qualifications recognized as equivalent thereto by the Government. and A certificate (RS-CIT course conducted by Rajasthan Knowledge Corporation Limited) awarded by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota or any other certificate awarded by a competent authority declared equivalent to above certificate by the Department of Information, Technology and Communication, Government of Rajasthan.
- Experience:-** Experience of handling official Statistics atleast for one year in a Government Department or reputed Commercial concern or University.
- Provided that candidates:-**
 - with first class Master's degree or Doctorate in any of the subjects specified as Educational Qualifications; or
 - having undergone successfully two years training in Statistics at a recognized Statistical Institute or University; or
 - having passed one year Diploma Course from recognized University or Institution having Statistics and Economics as optional paper; or
 - belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, need not possess the experience.
- Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani culture.**

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

नोट :- "साक्षात्कार से पूर्व" अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।

रनिंग पे-बैण्ड पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (Grade Pay -4800/-) नोट :- राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।

आयु सीमा दिनांक 01.01.2022 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम 40 से कम।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अर्थपूर्णों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियां	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष	5 वर्ष
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला	10 वर्ष
3.	सामान्य (आरक्षित) वर्ग की महिला	5 वर्ष
4.	विधवा एवं विधिन्न विवाह (परिव्रता) महिला	अधिकतम आयु सीमा नहीं
Explanation :- In the case of widow, she will have to furnish the certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.		
5.	उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। That the upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules.	
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकार्य नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under the rules.	

(क्रमशः)

7.	That the upper age-limit shall be relaxed by 3 years in the case of a person who, in addition to the qualification already prescribed, shall possess a degree in Doctorate from a recognized University in one of the subjects specified as the academic qualifications for such posts;
8.	That the upper age-limit mentioned shall be 45 years in the case of employees of the State Government;
9.	That the persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, had they been within the age-limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time to their initial appointment;
10.	एन.सी.सी. के कैंडिडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxable by a period equal to the service rendered in the N.C.C., in the case of cadet Instructor and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
11.	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्त कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। That the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
12.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत शासन के कार्मिक विभाग की अधिसूचना 22.12.2020 के अनुसार राज्य सेवाओं के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु यह कि शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी।

नोट —

- उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/MBC/EWS) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे— आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिवित्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2012 में विज्ञापित किये गये थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2013 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2022 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
- राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-			
	संवीक्षा परीक्षा में प्राप्तार्कों का 40 प्रतिशत भारांक की गणना Marks Secured in Screening Test × 40 Total Marks of Screening Test	अकादमिक का भारांक	साक्षात्कार का भारांक	कुल पूर्णांक
	40 अंक	20 अंक	40 अंक	100 अंक
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।			
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	प्रारम्भिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में (Online/Offline) ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। संवीक्षा परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा।			
आवेदन अवधि	दिनांक 03.09.2021 से दिनांक 02.10.2021 रात्रि 12-00 बजे तक।			
आवेदन प्रक्रिया	- उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंगे। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। - ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। - Recruitment Portal पर आधार आधारित One Time Registration (OTR) भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। - अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D.) जनरेट करना होगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। - अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। - अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा। - आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। - आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। - राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। - अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंगे। - आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।			

ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा आवेदक को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एस.एम.एस. के जरिए भेजी जायेगी। एस.एम.एस. से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है :-

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क रुपये 300/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाईन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जायेगा। आवेदक के नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर केवल ऑफलाईन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे, आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- विधवा/परित्यक्ता/विकलांग वर्ग के वे अभ्यर्थी जो उक्त कैटेगरी जोड़ना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा अथवा साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषणा की तिथि से पूर्व तक वर्ग परिवर्तन स्वीकार्य होगा। परीक्षा के प्रत्येक चरण के मूल परिणाम (मूल परिणाम से तात्पर्य प्रथम बार जारी परिणाम से होगा ना कि अन्य किसी रिशफल परिणाम से) से पूर्व प्राप्त ऐसे प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होंगे। किसी भी स्थिति में किसी चरण के परिणाम घोषणा के उपरान्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों में पूर्व घोषित परिणाम में संशोधन नहीं किया जाएगा, परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण के परिणाम में मूल कैटेगरी में उत्तीर्ण हैं एवं बाद में विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हो गए हो तो उन्हें अगले चरण की परिणाम घोषणा की तिथि तक इस श्रेणी का लाभ देय होगा।
- प्रथम चरण की परीक्षा आयोजन के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिवस का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी

#राजस्थान_सतर्क_है



“ यदि किसान कमज़ोर हो जाते हैं तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है,
लेकिन अगर वे मज़बूत हैं तो देश की स्वतंत्रता भी मज़बूत हो जाती है ”

—राजीव गांधी



राजीव गांधी

(20 अगस्त 1944 – 21 मई 1991)

की 77वीं जयंती
सद्भावना दिवस
पर उन्हें शत-शत नमन



अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान



#राजस्थान_रतर्क_हे



भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अग्रित्व, विश्वास, धर्म और उपसमा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करते वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भावना की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
- (च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगल्भ और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले;
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें।

आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश के शुभ अवसर पर मूल कर्तव्यों को अंगीकृत कर हम सब सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलते हुए प्रदेश को उन्नति की ओर बढ़ाएं।

सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

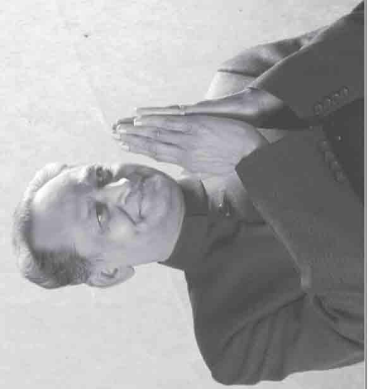
जय हिन्द, जय भारत

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

- 1 घट से बाहर निकलें
- 2 आपस में दो गुन की दूरी बनाए रखें
- 3 धोते वॉश या सेनेटाइज करें
- 4 तेवसीन जलट लुगवाएं

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

राज्य सं 18/2021



(पृष्ठ 3 का शेष)

- नाम, परीक्षा केन्द्र, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं विषय/पद के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन कर सकेंगे। सभी संशोधनों हेतु शुल्क रुपये 300/- निर्धारित है।
4. आयोग द्वारा अम्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अम्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

परीक्षा शुल्क:-

- (क) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :- रुपये 350/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :- रुपये 250/-
(ग) निशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :- रुपये 150/-
(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारा जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :- रुपये 150/-

नोट :-

- राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अम्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अम्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अम्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अम्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अम्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अम्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अम्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अम्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अम्यर्थी को उसके वर्ग के अनुसार अन्तर राशि का शुल्क जमा करवाना होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अम्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अम्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अम्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
- अम्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अम्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मेल/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आय (जन्य दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लें। अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अम्यर्थी का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मेल अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अम्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अम्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्त की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अम्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अम्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अम्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जायेगा।
- आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अम्यर्थियों की पात्रता (आय, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह आपत्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्त की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अनिवार्य नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई हैं। आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अर्थात् रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र दी प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रतित के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अम्यर्थी की आपत्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अम्यर्थी की होगी।
- माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त की अन्तिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विचार कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त की अन्तिम दिनांक के पश्चात् व प्रत्येक चरण की परीक्षा का मूल परिणाम जारी किये जाने से पूर्व जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना नाम अनिवार्य रूप से परिवर्तित करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक तक पुनर्विचार नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आय सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (प्रमाण-पत्र) होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा आपत्र माना जायेगा।
- आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आय सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आय एवं अधिकतम आय संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।
- परीक्षाधीनों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
- परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा पत्र से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अम्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
- परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीनक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीनक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- यदि किसी अम्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपभोग या अनुचित/अमर व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो, तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

- जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अम्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अम्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(क्रमशः)

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।
8. शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी जैसे-श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्ताता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी एवं अन्यादि के अनुसार प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य जिसमें पति का नाम अंकित (यथा-राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) हो प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्ली परीक्षा का मूल परिणाम जारी होने की दिनांक तक होना आवश्यक है।
9. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान -** कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी।** कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का फायदे लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्राप्ति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहाँ किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरे के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/चयनपत्र देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।
10. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्तर्वा प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तान पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
12. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
15. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी अपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी अपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।
16. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।
17. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :- यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

रोजगार के अवसर

(संक्षिप्त जानकारी)

डीएसई ओडिशा

पद - हिंदी टीचर व अन्य
पद संख्या - कुल 4619 पद
अंतिम तिथि - 15 सितंबर, 2021
www.dseodisha.in

यूकेएमएसएसबी

पद - लैब टेक्निशियन व अन्य
पद संख्या - कुल 306 पद
अंतिम तिथि - 15 सितंबर, 2021
ukmssb.org

पीएफआरडीए

पद - असिस्टेंट मैनेजर
पद संख्या - कुल 11 पद
अंतिम तिथि - 16 सितंबर, 2021
pfrda.org.in

इलाहाबाद हाईकोर्ट

पद - कम्प्यूटर असिस्टेंट
पद संख्या - कुल 15 पद
अंतिम तिथि - 16 सितंबर, 2021
www.allahabadhighcourt.in

एमपीआरआई, भोपाल

पद - जू स्टेनोग्राफर, जू सेक्रिटरीट असिस्टेंट
पद संख्या - कुल 08 पद
अंतिम तिथि - 15 सितंबर, 2021
www.ampri.res.in

एनआईटी, वाराणसी

पद - सीनियर मेडिकल ऑफिसर अदि
पद संख्या - कुल 129 पद
अंतिम तिथि - 23 सितंबर, 2021
www.nitwac.in

एनआईटीएलआईटी, नई दिल्ली

पद - स्टाफ कार ड्राइवर
पद संख्या - कुल 11 पद
अंतिम तिथि - 14 सितंबर, 2021
<https://register-delhi.nielit.gov.in>

यूनियन बैंक

पद - सीनियर मैनेजर आदि
पद संख्या - कुल 347 पद
अंतिम तिथि - 03 सितंबर, 2021
www.unionbankofindia.co.in

* * * ज्ञान- विज्ञान आधारित प्रश्नोत्तरी * * *

- चित्तौड़गढ़ के मेजर यशोवर्धन भाटी को वीरता के लिए कौनसा सम्मान दिया गया ?
(अ) अशोक चक्र (ब) वीर चक्र
(स) सेना मेडल (द) राष्ट्रपति पुलिस पदक
- राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग के प्रोजेक्ट्स को 'आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवॉर्ड्स 2020' में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए ?
(अ) 2 (ब) 3 (स) 4 (द) 5
- राजस्थान में मित्तल समूह द्वारा कितने मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क लगाने पर सहमति बनी है ?
(अ) 500 मेगावाट (ब) 1500 मेगावाट
(स) 1000 मेगावाट (द) 4500 मेगावाट
- पाक विस्थापितों को सामाजिक व आर्थिक संबल देने के लिए विनोबा भावे नगर विकसित किया जा रहा है यह किस जिले में है ?
(अ) कोटा (ब) करौली (स) बीकानेर (द) जोधपुर
- राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी ?
(अ) जोधपुर (ब) जयपुर
(स) बीकानेर (द) झालावाड़
- दौसा में स्थित नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है ?
(अ) चंदन पर्वत (ब) देव गिरी पर्वत
(स) हर्ष पर्वत (द) बाला पर्वत
- ढाई दिन के झोपड़े का डिजाइन किसने तैयार किया ?
(अ) अबू बकर (ब) मोहम्मद शाह
(स) रावसिंह (द) इनमें से कोई नहीं
- चांदी की मौनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है ?
1-जोधपुर 2-जयपुर
3-बीकानेर 4-नाथद्वारा
5-उदयपुर
- (अ) उपरोक्त सभी (ब) 1 और 5 (स) 1,3,5 (द) 3 और 4
- भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थापित किया जाएगा ?
(अ) जैसलमेर (ब) बीकानेर (स) जयपुर (द) कोटा
- अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौनसा प्रतिबिम्ब बनता है ?
(अ) वास्तविक एवं सीधा (ब) आभासी एवं सीधा
(स) वास्तविक एवं उल्टा (द) आभासी एवं उल्टा
- पानी के छोटे-छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है ?
(अ) स्थानता (ब) दाब
(स) गुरुत्व (द) घृष्ट तनाव
- कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है ?
(अ) प्रधानमंत्री (ब) मंत्रिमंडल
(स) लोकसभा स्पीकर (द) राष्ट्रपति
- टैगोर संस्कृति और सभ्यता केन्द्र कहाँ स्थित है ?
(अ) शिमला (ब) भोपाल
(स) मुंबई (द) इनमें से कोई नहीं
- भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के मिशन को क्या नाम दिया ?
(अ) ऑपरेशन मित्र (ब) ऑपरेशन देवी शक्ति
(स) ऑपरेशन अफगान (द) इनमें से कोई नहीं
- किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है ?
(अ) मध्यप्रदेश (ब) उत्तराखंड
(स) उत्तरप्रदेश (द) इनमें से कोई नहीं

- उत्तरमाला -

1(स) 2(अ) 3(द) 4(द) 5(अ) 6(ब) 7(अ) 8(द)
9(स) 10(ब) 11(द) 12(स) 13(अ) 14(ब) 15(स)

बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से मिली नई दिशा



प्रार्थी का नाम - श्री जितेंद्र कुमार

सक्सेस स्टोरी

मैं अल्वर जिला निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र श्री सतजीत सिंह का भते हेतु आवेदन रोजगार कार्यालय, अल्वर द्वारा अगस्त, 2019 में अप्रुव करके भुगतान शुरू किया गया। मेरे द्वारा एक वर्ष दस माह की अवधि में प्राप्त राशि का उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में किया गया तथा जुझे अगस्त, 2021 में राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल के रूप में स्थायी नियुक्ति का अवसर मिला गया है। मैं जिला रोजगार कार्यालय, अल्वर एवं राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ।



प्रार्थी का नाम - श्री गौरीशंकर गोदारा

सक्सेस स्टोरी

मेरा नाम गौरीशंकर गोदारा है। मैं ग्रामीण परिवेश के एक किसान परिवार से हूँ। मेरी पढाई की सामग्री तथा लॉकडाउन में मैंने (ऑनलाइन क्लासेज, टेस्ट सीरिज) आदि बेरोजगारी भत्ते से प्राप्त राशि की मदद से खरीद कर सका। मेरा ध्यान जम्मा एण्ड कररी ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक के पद पर हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने माता-पिता एवं राजस्थान सरकार की इस योजना को देना चाहता हूँ।

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपये 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी हैं। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
महेश शर्मा
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगुजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दायार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001; फोन- 2368398
ई-मेल: adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in